भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नव संख्या 1662

02 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्नत

एफसीआई में अनुकंपा नियुक्ति

1662. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉव:

श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डीओपीटी के दिनांक 5 सितम्बर 2016 के आदेश एफ. संख्या 14014/02/2012-स्थापना (डी) के अनुसार यह कहा गया है कि "विवाहित पुत्र'' भी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपयुक्त आदेश को एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र ने यह कहते हुए क्रियान्वित नहीं किया कि 2015 के मामलों से यह वैध नहीं है;

(ग) क्या ऐसे मामले (विवाहित पुत्र संकल्पना के अंतर्गत नकारे/अस्वीकृत नियुक्ति) जो 2005-2013 के बीच के हैं भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुन: खोले जाएंगे/पुनर्विचार किये जाएंगे;

(घ) क्या विवाहित पुत्र/पुत्री के लिए अनुकंपा आधार के अंतर्गत रोजगार देने के लिए पुनर्विचार के लिए कोई विशिष्ट वर्ष नियत/निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तङर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य् मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश फा. सं. 14014/02/2012-स्थापना (डी) दिनांक 05 सितंबर, 2016 के अनुसार “विवाहित पुत्र” अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का पात्र है।

भारतीय खाद्य निगम , दक्षिण अंचल ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का आदेश फा. सं. 14014/02/2012-स्थापना (डी) दिनांक 05 सितंबर, 2016 कार्यान्वित कर दिया है।

(ग) से (ङ): अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के मामलों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाना अपेक्षित है। अनुकम्पा आधार के अंतर्गत “विवाहित पुत्र” को नौकरी देने के लिए कोई विशिष्ट वर्ष नियत/निर्धारित नहीं किया गया है।

*****